

---

## कास्ट की अवधारणा से 'जाति' की व्याख्या : विचारधारात्मक पूर्वाग्रह का जन्म

—राकेश कुमार शर्मा,

सहायक प्रोफेसर, इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, नारायणगढ़

*“भारत विभिन्न जातियों का एक बहुत बड़ा संग्रहालय है जिसमें हम मानव के इतिहास और उसकी संस्कृति के निम्नतर स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक पढ़ सकते हैं। ये उदाहरण कोई सूखी हड्डियां या जीवावशेष नहीं हैं, बल्कि सजीव समाज हैं।”*

—1881 ई0 में इंपीरियल गजेलियर ऑफ इण्डिया।

भारत में हमेशा से विभिन्न जनजातियां अस्तित्व में रही हैं। यह जनजातिय विविधता भारत की विशेषता है। इस विविधता को विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार व्याखित किया है। मोन्टेस्क्यू के अनुसार “पूर्व के लोगों के कानून, रीति-रिवाज, व्यवहार और यहां तक की पहनावे का ढंग—हजारों सालों से एक जैसा है।” जेम्स मिल कहता है कि भारत में प्रगति हजारों साल पहले रुक गई थी। हीगल का मानना था कि हिन्दूओं को कोई इतिहास नहीं है। उनका कोई लिखित इतिहास नहीं है। किसी भी प्रकार की राजनीतिक स्थिति का विकास नहीं है। एंगल्स भी भारत को ऐसा समाज कहता है जहां शासक और शासित के बीच विभाजन नहीं हुआ है। हाब्सबाम भी मानते हैं कि परिवार, सम्पत्ति व राज्य की उत्पत्ति में एंगल्स ने ऐषियाई उत्पादन पद्धति के बारे में कोई वर्णन नहीं किया, इसका संभवतः कारण हो सकता है कि एंगल्स ने इसको सभ्यता से पहले के इतिहास से सम्बन्धित माना है। वे इस बात पर सहमत थे कि पूर्व के लोग भूसंपत्ति और सामंतवाद की अवस्था तक नहीं पहुंचे थे। दैवी प्रसाद चट्टोपाध्याय भारत के सामाजिक इतिहास में “आसमान विकास और जनजातीय उत्तरजीविता को प्रमुख विशेषता मानते हैं। डी0 डी0 कोशाम्बी का यह कथन हमें और स्पष्ट करेगा। उन्होंने लिखा है, “भारत में पिछड़े हुए, अविकसित क्षेत्रों में आज भी कबिलाई समाज के महत्वपूर्ण अवशेष विद्यमान हैं। छोटे से प्रान्त असम में ही कम से कम 175 भाषाई समूह हैं। ये भाषाएं छोटे-2 समूहों में बोली जाती हैं जिन्होंने अपने अपने रिवाजों और ढांचों को बचाया हुआ है। इनमें से नाग, गारों के क्षेत्रों का नृजाति वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। इनमें कुछ पशुचारी, कुछ पिकारी व थोड़ी मात्रा में कृषक हैं, कुछ श्रम बाजार में चली गई है।” इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत विविधताओं का देश रहा है।

इन सबके बावजूद भी यह धारणा स्थापित हुई है कि जाति एक भारतीय व्यवस्था है जो हमेशा से एक जैसी है और सारे भारत में प्रसारित रही है। धर्म और राज्य ने इसे पोषित किया है। यहाँ तक विचार प्रकट किये गए हैं कि ‘भारतीय जलवायू में ही जाति है।’ सिद्धान्त और व्यवहार में जाति को समझना एक मुष्किल कार्य हो गया है। जो सिद्धान्त विकसित हुए उन्होंने इसे ज्यादा जटिल कर दिया।

यह सामान्य अवलोकन बन गया कि जाति व्यवस्था का ढांचा षोषण का आधार रहा है। यह वर्ग संघर्ष का पर्याय भी माना गया है। भारतीय समाजशास्त्र तो इसके चारों ओर ही खो गया है।

भारत में 'जाति' शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। दूसरी भाषाओं में भी उच्चारण की विभिन्नता के साथ यह शब्द उपलब्ध है। इस शब्द का उद्भव 'ज' धातु से हुई है जिसका अर्थ 'जन्म' होता है। न्याय दर्शन में लिखा 'समान प्रसवः जाति' यानि अपने जैसे समान को जन्म देने वालों को जाति कहा गया है। हम इस शब्द को प्रयोग इसी रूप में करते हैं। इसको हम व्यवसायिक, क्षेत्रिय, भाषा गुण के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। पशुओं, वृक्षों, लिंग आधार पर भी इसी से वर्गीकृत करते हैं।

पिछली तीन-चार शताब्दियों से एक विदेशी शब्द 'कास्ट' जाति के पर्यायवाची रूप में प्रयोग हो रहा है।

'कास्ट' शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी में अमेरिका में स्पेनी उपनिवेशों के सामाजिक-नस्लीय वर्गीकरण की व्यवस्था के लिए किया गया था। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि आईवेरियन शब्द 'कास्टा' से बना है। जिसका मतलब होता है नस्ल, वंशक्रम या संतान। यह लेटिन भाषा के शब्द 'कास्टस' या कास्टे से निकला है जिसका मतलब होता है शुद्ध-रक्त। इसका अभिप्राय यह है कि 'कास्ट' शब्द का मतलब नस्ल, वंशक्रम, शुद्ध-रक्त या मिश्रित रक्त से उत्पन्न संतान।

हर शब्द या वाक्य का अपना मतलब होता है। उसका अपना रचना इतिहास, काल व स्थान होता है। यह एक सांस्कृतिक घटना होता है। जिसमें वह पैदा होता है। घटना व शब्द का सम्बंध टूट जाता है क्योंकि घटना घट जाती है लेकिन शब्द बच जाता है। शब्द उस घटना को व्यक्त करता है। भाषा घटना को पालतू बना लेती है। ये घटना के स्वभाव व व्यवहार से जानकारी करवाते हैं। उसका अपना प्रभुत्व व प्रभाव होता है। किसी को किसी शब्द, से पुकारने का मतलब, उसे शब्द के अधीन करना है। यह हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। हमारी समझने या विश्लेषण करने की शक्ति पर परत बनाकर कमजोर करते हैं। देरीदा के अनुसार विषय से बाहर कुछ नहीं है। हम वास्तविकता को अवधारणा, चिन्ह व वर्गीकरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।

'जाति' के लिए अंग्रेजी भाषा के शब्द 'कास्ट' का प्रयोग होने ने मुश्किलें पैदा की हैं। इससे दोनों शब्दों ने अपना वास्तविक मतलब व महत्व खो दिया जिसके लिए इनका प्रयोग होता था। नया मतलब उपस्थित हो गया जो देश, काल, इतिहास के अनुसार नहीं था।

15वीं शताब्दी के अन्त में आईवेरियन प्रायद्वीप (स्पेन व पुर्तगाल) से पुरुष सैनिक व सैनानी ने लेटिन अमेरिका पर अपना अधिकार करने की शुरुआत की। इन लोगों द्वारा अमेरिकन-इण्डियन व बाद

में अफ्रीकन महिलाओं से संताने प्राप्त हुई। इन सब मिश्रित नस्ल के बच्चों की पहचान के लिए 'कास्ट' शब्द का प्रयोग किया गया।

यूरोपियन लोग विश्व के किसी भी क्षेत्र में गये। वे अपने साथ नस्लीय श्रेष्ठता को साथ लेकर गए। उनकी संकल्पना थी कि लोगों की चारित्रिक विशेषता व गुण उनके जन्म, रंग, नस्ल पर आधारित होते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि यह जहां भी गये वहाँ यूरोपियन विशेषाधिकार पर आधारित व्यवस्था स्थापित की। इससे श्रेष्ठता-निम्नता भी स्थापित हुई।

लेटिन अमेरिका में समाज चार शुद्ध रक्त के लोगों से बना था। 1) महाद्विपीय-जिनका जन्म यूरोप में हुआ, 2) सरीआले, यूरोपीय मूल-वे लोग जिनका जन्म यूरोप से बाहर हुआ, 3) अमेरिकन-इण्डियन, 4) नीग्रो-अफ्रीकी मूल के व्यक्ति जिन्हें दास व्यापार द्वारा अमेरिका में लाया गया था। इनमें महाद्विपीय व्यक्ति को सबसे ऊँचा स्थान दिया गया था। इनके आपसी वैवाहिक सम्बंधों से उत्पन्न संतान या मिश्रित नस्ल के लोगों के लिए कास्टस शब्द प्रयोग किया गया। मिश्रण की दर भी कास्टस में महत्त्वपूर्ण थी।

आईवेरियन उपनिवेशों में चर्च व राज्य में भेद न था। पादरी द्वारा किये गये कार्यों को धार्मिक मान्यता तो प्राप्त थी ही साथ ही साथ चर्च द्वारा किये गये कार्य सरकार के कार्य माने जाते थे। चर्च जन्म, विवाह, मृत्यु का रिकार्ड रखती थी। अमेरिका में यह माता-पिता की नस्ल के अनुसार संतान की कास्टसलिखी जाती थी। क्योंकि इन क्षेत्रों में सामाजिक दर्जा, सम्पत्ति अधिकार, चर्च व राज्य में पद प्राप्त करना व न्याय व्यवस्था नस्ल पर आधारित थी इसलिए यह व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण और समाज में व्यक्ति के महत्व को निश्चित करने के लिए प्रयोग की गई।

सम्पत्ति का अधिकार सिर्फ यूरोपियन लोगों को ही था। यह भी नियम था कि सिर्फ अफ्रीकी लोगों को ही दास बनाया जा सकता है। जिन अमेरिकन-इण्डियन लोगों से भी जबरदस्ती सरकार या चर्च के लिए काम लिया जाता था परन्तु उसे गुलामी न कह कर 'कर प्रणाली' का ही हिस्सा कहा जाता था। इस तरह लेटिन अमेरिका में तीन प्रकार के सामाजिक दर्जे के लोग थे। यूरोपियन श्रेष्ठ, इण्डियन मध्यम व नीग्रो निम्न। समाज में कास्टस का निर्धारण इनमें मिश्रण की दर के अनुसार था जो कि संख्या में 100 से भी पार था। कास्टसमें प्रस्फुटन लगातार उत्तरोत्तर प्रक्रिया थी।

'कास्टस' सम्पत्ति के अधिकार, राज्य व धर्म में स्थिति, श्रेष्ठता-निम्नता, मिश्रित नस्ल, गुलामी निर्धारित करने की एक व्यवस्था थी। सामाजिक-नस्लीय वर्गीकरण था जिसमें चर्च व राज्य सक्रिय भूमिका निभाते थे।

यह शब्द स्वतंत्र नहीं था। इसके साथ उपरोक्त धारणायें व प्रक्रियाएं शामिल थी। शब्दों की भांति इन्होंने भी अचेतन विचारों के स्तर पर दिमाग में स्थान लिया है। इसमें लगाव, घृणा, आदर,

अधिकार, कर्तव्य आदि सभी चीजें शामिल थी। जैसे ही 'कास्टस' का प्रयोग होने पर ये अपने-आप को खुद ही व्यक्त करना शुरू कर देती है। ये शब्द इतने स्वतंत्र हो जाते हैं कि कई बार शब्दों से पूरी व्यवस्था से या उसके सभी कार्यों से अपरिचित रह जाते हैं।

जब यही शब्द दूसरी घटना के लिए, जो कि स्थान, काल, इतिहास में अलग है, प्रयोग किया जाता है तो वह अपनी अवधारणा, गुण, स्वभाव भी उसमें उड़ेल देता है। वास्तविकता व शब्द या वाक्य में द्वन्द्वात्मक सम्बंध नहीं होते। वास्तविकता में परिवर्तन होने पर शब्दों में परिवर्तन नहीं होते हैं। सामाजिक संरचना के तत्वों के समाप्त होने पर भी वे बने रहते हैं।

'कास्ट' की अवधारणा का एक ढांचा है। जो एक वास्तविकता पर खड़ा है। वह सामाजिक संरचना की एक व्यवस्था है जिसमें कई तत्व हैं। इनमें से एक में भी परिवर्तन होने पर सभी तत्व प्रभावित होते हैं। अंग्रजों ने भारत के समाज का अध्ययन उसी मॉडल पर किया। जाति की व्यवस्था और वर्णन के लिए कास्टका मॉडल उचित लगा। यह एक सरल, साधारण मॉडल पर एक जटिल मॉडल लगाना था। एक व्यवस्थित विशेषता के मॉडल की रचना की गई।

'जाति' व 'कास्ट' शब्द का उद्भव स्थल, काल, परिपेक्ष अलग-2 है। इनका मतलब भी अलग-2 है। 'जाति' का मतलब जन्म से है जबकि कास्ट का मतलब वंश क्रम, संतान, नस्ल से है। आज हम इन्हें एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द मानते हैं। भारत में 'कास्ट' की अवधारणा के आधार पर 'जाति' की व्याख्या हुई और उसका आधार चयनित ग्रन्थों को लिया गया। इससे विचारधारात्मक, अवधारणात्मक पूर्वीग्रह पैदा हुआ जो भारतीय समाज में अनुसंधान व विश्लेषण के लिए प्रयोग किए गए।

इस मॉडल में 'जाति' एक मिथक है। मिथकमें ही इसका जन्म माना गया है। सोच-समझ कर ग्रन्थों का प्रयोग किया गया है। वस्तु परकता की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। वैज्ञानिक ज्ञान व व्याख्या की अवहेलना की गई। बौद्धिक व मनोवैज्ञानिक क्रिया-प्रक्रिया इसी के चारों ओर संगठित होने लगी। जब व्यवस्था करने वाले प्रमाण वास्तविकता से मेल न खाकर मिथक से सम्बंधित हों तो इससे उत्पन्न व्याख्या या व्यवहार से हम ठीक उम्मीद नहीं रख सकते। इसमें कमी रहने की सम्भावना पूरी तरह से है।

हम साम्प्रदायिकता के विरोध के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। परन्तु जाति या जातिवाद विरोधी शब्द का अब तक जन्म नहीं हुआ है। क्या हम इसे ऐसे लें कि जाति को खत्म करने का आन्दोलन पैदा ही नहीं हुआ है। सभी आन्दोलन जो जातिवाद का विरोध करते हैं अन्ततः खुद भी जातिवादी ही हैं।

वास्तव में भारतीय समाज के व्यवहार में जाति एक समुदाय है जो अपने-2 रिवाजों, विश्वासों, मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। 'कास्ट' यूरोपियन दृष्टिकोण है। अब भारत के समाज की व्याख्या करते हुए और इतिहास लिखते समय यही दृष्टिकोण अपनाया गया।

बिना भारत से परिचित हुए कंपनी भारत से न तो व्यापार कर सकती थी, न ही शासन कर सकती थी। शासन के लिए न्याय व्यवस्था हमेशा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कम्पनी ने 'अ कोड ऑफ जेंटू लाज' (1776 ई0) का संकलन किया। यह भारत में प्रचलित रिवाजों का संहिताकरण करने का प्रयास था। यह कोई आसान कार्य नहीं था क्योंकि एक ही मामले में शास्त्रों के अनुसार अलग-2 राय थी। इसलिए विलियम जे जोन्स, जो भारत में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, ने मनुस्मृति के पक्ष में अपनी राय बनाई। 1894 ई0 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया। मनुस्मृति को कानून की पुस्तक के रूप में स्थान दिया गया।

भारतीय इतिहास लेखन ने अपनी यात्रा 1818 ई0 में प्रकाशित मिल की पुस्तक 'द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इण्डिया' से शुरू की। इस किताब ने भारतीय इतिहास की व्याख्या में साम्प्रदायिक व जातिवादी दृष्टिकोण स्थापित किया। यह माना गया कि सामाजिक तनावों में धर्म व जाति की भूमिका होती है। मिल ने मनुस्मृति को एक प्रमुख स्रोत के रूप में प्रयोग किया। इस पुस्तक ने भारतीय मध्यम वर्ग का दृष्टिकोण बनाने में योगदान दिया। रोमिला थापर के अनुसार, 'मिल का इतिहास भारत के प्रशासकों के लिए मूल ग्रंथ बन गया और अधिकतर प्रशासक ही उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रिटिश इतिहासकार हुए हैं। इन्हीं अधिकारियों ने भारत के शिक्षा व्यवस्था के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया और लिखा जिससे वह भारत में उभरते मध्यम वर्ग का वैचारिक आधार व दर्शन बनना शुरू हुआ। लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि भारत के लोगों के मामले मनुस्मृति से हल नहीं होते थे बल्कि अपनी बिरादरी पंचायतों व रिवाजों से होते थे।

इस प्रकार भारत में 'कास्ट' एक विचारधारात्मक व अवधारणात्मक ढांचे के रूप में स्थापित हुई जिसने भारत में आगामी विचारों को प्रभावित किया।

संदर्भ:

1. लोकायत – देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय
2. मिथ एण्ड रियेलिटी – डी.डी. कौशाम्बी
3. लस कास्टस – स्पेनिश रेशियल कलासीफिकेशन – रोबर्ट अजेस्टस
4. अपयूलंट सोसाइटी – मार्शल शालिन्स